

# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी:-पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या 6 / 2026

जीसीएमएस नं0 2026 / 15

श्रीमती गंगा बाई पत्नी स्व0 श्री नेगीचन्द निवारी सरस डेयरी के सामने, टावर के पास, शिवपुरा कोटा थाना दादावाडी कोटा  
-अपीलाण्ट,

वनाम

1. धर्वेश मालवी पुत्र स्व0 सागर मालवी
2. लक्ष्मी पत्नी धर्वेश मालवी निवारी सरस डेयरी के सामने, टावर के पास शिवपुरा कोटा थाना दादावाडी कोटा
3. राजस्थान सरकार जयें लोक अभियोजक

--- रेरपोडेन्ट



अपील अन्तर्गत धरा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 विरुद्ध निर्णय दिनांक 27.10.2025 मिसल नम्बर 22 / 2025 उनवान श्रीमती गंगा बाई वनाम धर्वेश मालवी वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा

उपस्थित:-

1. श्री नन्दसिंह राजावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अमित खारोलीवाल, अभिभाषक रेरपोडेन्ट

## निर्णय

दिनांक- 19.05.2026

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थीया अपीलांट गंगा बाई के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 पेश किया जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पर दिनांक 27.10.2025 को आदेश पारित किया है कि-" अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिस कारण से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को उक्त मकान सरस डेयरी के सामने टावर के पास शिवपुरा कोटा थाना दादावाडी कोटा से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि भविष्य में अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ गाली गलोच एवं मारपीट नहीं करें ओर ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक कूरता कारित करें तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें । उक्त मकान के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें । प्रार्थीया के भरण पोषण एवं इलाज आदि की व्यवस्था करें ।
3. प्रार्थीया अपीलाण्ट ने उक्त आदेश दिनांक 27.10.2025 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.01.2026 को जरिये अभिभाषक पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेरपोडेन्ट की तलवी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेरपोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री अमित खारोलीवाल का वकालतनामा पेश हुआ । उभयपक्ष उपस्थित । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी । वकील रेरपो0 ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।
4. वकील प्रार्थी अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के

यहाँ भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र द्वारा आशय का पेश किया था कि अपीलार्थी के दो पुत्र व चार लड़कियाँ हैं तथा पुत्रों और चारों लड़कियों की शादी कर दी गई है और चारों बेटियाँ अपने ससुराल में रहती हैं। अपीलार्थी के पुत्र सागर ने चारों डेगथी के सामने, दावर के पास, शिवपुरा कोटा थाना दादावाडी कोटा में एक मकान खरीद किया था जिसकी लिखा पकी सागर के नाम पर है। उक्त मकान खरीद करने में अपीलार्थी ने सागर की आर्थिक मदद की थी और जिसकी वरिष्ठत सागर ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थी के पक्ष में करा दी गई है। यह कि प्रत्यर्थी धर्मेश ने अपने जीवनकाल में लक्ष्मी से प्रेम विवाह कर लिया था और प्रत्यर्थीगण का व्यवहार सागर के प्रति अच्छा नहीं रहा। लक्ष्मी ने अपने ससुर के विरुद्ध झूठे आरोप लगाये जिसके कारण सागर ने प्रत्यर्थीगण को अपने उक्त घर से निकाल दिया था। अपीलार्थी के पुत्र सागर का देहान्त 18.10.2024 में होने से 3 माह पूर्व अपीलार्थी ने अपने बेटे सागर को समझाकर दोनों को वापस घर पर बुला लिया था। अपीलार्थी के पुत्र प्रत्यर्थी के पिता सागर की मृत्यु पर धर्मेश ने अपने पिता के क्रियाकर्म रम नहीं निभाई और न ही अस्थियों का विर्रजन करने हरिद्वार गया। अपीलार्थी ने अपने गहने बेचकर अपने पुत्र सागर का अन्तिम संस्कार एवं सम्पूर्ण रमों निभाई। अपीलार्थी के पुत्र सागर की मृत्यु हो जाने के बाद से प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी के साथ मारपीट करते हैं और उसका भरण पोषण नहीं करते हैं और मकान को बेचने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपीलार्थी की बेटियों को घर में न ही आने देते हैं। अपीलार्थी ने मकान बेचने से इंकार करने के कारण से प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी के साथ मारपीट करते हैं और खाना नहीं देते हैं। कमरे के लाईट बन्द कर दी है जिसके कारण अपीलार्थी अंधेरे में रहती है। इन्हीं कारणों व परिस्थितियों के कारण प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भरण पोषण व दवाई आदि के लिये 10 हजार रुपये प्रतिमाह देने तथा शिवपुरा कोटा स्थित मकान खाली कराने के हेतु निवेदन किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वर्णित मकान से अप्रार्थीगण के वेदखली की प्रार्थना अस्वीकार की गई तथा प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को पाबंद किया कि वह प्रार्थीया के साथ गाली गलोच एवं मारपीट नहीं करें और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करें तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

5. अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरीत है, अपीलार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अपने पुत्र सागर मालवी की वसीयत पेश की गई जिससे यह अवधारणा प्रमाणित होती है कि प्रत्यर्थीगण का व्यवहार व आचरण मृतक सागर के जीवनकाल में कैसा रहा और इसी दुर्व्यवहार के कारण मृतक सागर ने अपने मकान वसीयत अपनी मां अपीलार्थी के पक्ष में आलेखित की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक कोटा को दिया गया शिकायत पत्र और थाने में दी गई रिपोर्ट पेश की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया के भरण पोषण एवं ईलाज आदि की व्यवस्था करने का आदेश प्रत्यर्थीगण को दिया है लेकिन आदेश में मेन्टेनेन्स की कोई निश्चित राशि निर्धारित नहीं की गई है। इस प्रकार आदेश अस्पष्ट, अधूरा एवं अनुपालन योग्य नहीं है। स्पष्ट राशि का उल्लेख न होने के कारण आदेश न्याय संगत नहीं है। अतः आदेश संशोधित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी के पास वसीयत होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने न तो वसीयत की विधिक स्थिति का परीक्षण किया और न ही मकान से वेदखली का स्पष्ट आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की ओर प्रस्तुत तर्कों की अनदेखी करते हुए माईन्ड एप्लाइ किये विना यंत्रवत रूप से विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों को समझे विना एवं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय दिनांक 27.10.2025 पारित करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.10.2025 निरस्त फरमाया जावे और अपीलार्थी के भरण पोषण के लिये 10 हजार रुपये प्रतिमाह और प्रत्यर्थीगण को मकान से वेदखल किया जावे।

✓

6. वकील रेषपोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील मनगढंत तथ्यों के आधार पर पेश की है । अपीलार्थी ने मिथ्या कथन किया है कि उसने अपने पुत्र सागर को मकान खरीदकर दिया था यतयता यह है कि उक्त मकान स्वयं सागर ने जो कि प्रत्यर्थी क्रम 1 का पिता है, ने अपनी आय से खरीद किया था इसलिए उक्त मकान की रजिस्ट्री सागर के नाम पर है व जो वसीयत का हवाला दिया गया है वह फर्जी है जो कि सागर की बीमारी के दौरान फर्जी तरीके से तैयार करवाई गई थी । अपीलार्थी द्वारा ही अपने पिता के समस्त संस्कार किये गये थे व अपीलार्थी स्वयं के पास एक मकान व कमाई के साधन मौजूद है व उक्त मकान में प्रत्यर्थीगण निवास करते है जिनको लगातार अपीलार्थी परेशान कर रही है व विभिन्न न्यायालयों में दोनों के मध्य प्रकरण लम्बित है व जो एक दुकान मकान के बाहर बनी हुई है जिससे सागर अपनी कमाई करता था व अपीलार्थी भी खाते कमाते थे उस दुकान को भी अपीलार्थी चलने नहीं देती व बार बार ताला लगा देती है । उक्त मकान में प्रत्यर्थीगण निवास करते है जिन्हें लगातार पुलिस के माध्यम से अपीलार्थी धमकाती है व मकान पर कब्जा करना चाहती है इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण को मकान से बेदखल करना उचित नहीं पाया गया ना ही कोई निश्चित राशि भरण पोषण की तय की गई । अपीलार्थी के पास स्वयं की दुकान है जिसमें स्वयं निवास करती है साथ ही कमाई का साधन भी मौजूद है व उनकी पुत्रीयों द्वारा उनकी देखभाल की जा रही है साथ ही जब भी प्रत्यर्थीगण के मकान में अपीलार्थी आती है उनके खाने पीने की व्यवस्था प्रत्यर्थीगण ही करते है । अपीलार्थी बहकावे में आकर चूंकि प्रत्यर्थी क्रम 1 ने अपनी मर्जी से छोटी जाती में प्रत्यर्थी क्रम 2 से विवाह किया है, इसी अदावत से अपीलार्थी प्रत्यर्थीगण को परेशान कर रही है । अतः अपीलार्थी की अपील सव्यय खारिज फरमाई जावें ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.10.2025 की अप्रसन्नता में इस न्यायालय में दिनांक 06.01.2026 को पेश की गई है जो निर्धारित समयावधि 60 दिवस के अन्दर नहीं है किन्तु अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 10.11.2025 को जारी होने से नकल प्राप्ति की तारीख से अन्दर मियाद है ।

8. प्रार्थीया अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित मकान शिवपुरा कोटा से अप्रार्थीगण की बेदखली एवं भरण पोषण के लिए दस हजार रुपये की मांग की गई थी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में प्रार्थीया की प्रार्थना निर्णय दिनांक 27.10.2025 से अस्वीकार की गई किन्तु न्यायहित में प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ गाली गलौच, एवं मारपीट नहीं करें और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक कूरता कारित करें तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, उक्त मकान के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, भरण पोषण एवं ईलाज की व्यवस्था करें । प्रस्तुत अपील मे अपीलांट द्वारा तथ्य प्रकट किये गये है कि उक्त वर्णित मकान अपीलांटा ने मृतक पुत्र सागर गोयल के नाम खरीद किया था, जिसकी वसीयत अपीलांट के नाम की हुई है, इसके विपरीत रेषपोडेन्ट का तर्क है कि उक्त वर्णित मकान उनके पिता सागर गोयल के नाम था, जिस पर उनका अधिकार है, तथा वसीयत को फर्जी बताया है । हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध वसीयतनामा दिनांक 15.10.2024 का अवलोकन किया जिस पर उप पंजीयक के हस्ताक्षर मोहर अंकित है किन्तु पंजियन क्रमांक आदि का विवरण अंकित नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त वसीयत की सत्यता का प्रमाणिकरण नहीं किया जा सकता है । वसीयत का प्रमाणिकरण सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है । फलस्वरूप कथित वसीयत के आधार पर रेषपोडेन्ट को उक्त वर्णित मकान से बेदखल करना उचित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली की प्रार्थना खारिज की है जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया के भरण पोषण ईलाज आदि की व्यवस्था के आदेश पारित किये है किन्तु बतौर भरण पोषण राशि तय नहीं की है । ऐसी स्थिति में भरण पोषण की राशि तय की जाना उचित पाते है ।



9. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीया अपीलांट को बतौर भरण पोषण राशि 2000/- दो हजार रुपये प्रति माह तय की जाती है । रेस्पोंडेंट को पाबन्द किया जाता है कि 2000/- प्रतिमाह भरण पोषण की राशि प्रार्थीया अपीलांट को जरिये बैंक खाता अदा करें । अपीलांट की शेष प्रार्थना बेदखली सम्बन्धी अस्वीकार की जाती है । निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी कोटा को निर्णयानुसार पालना हेतु भिजवाई जावें ।
10. निर्णय आज दिनांक 19.5.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।



(पीयूष सारिया)  
अपील अधिकारी एवं  
जिला कलेक्टर, कोटा  
जिला कलेक्टर  
कोटा